न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 05/2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
दिनेश चौधरी पुत्र श्री रतनाराम चौधरी जति जाट, निवासी सुभाष नगर, शिवगंज मूल पता–ईनाणियां ट्रांसपोर्ट कम्पनी तहसील शिवगंज जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही

आर्म्स अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम,1959 आयुध नियम 2016, विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही कमांकः प.21(1)1( )न्याय/2021/1788 दिनांक 01.03.21 द्वारा प्रार्थी का नवीन शस्त्र पिस्टल क्रय हेतु अनुज्ञापत्र का आवेदन खारीज कर संचित करने बाबत।

उपस्थिति–
1. श्री ललित परिहार, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक 25.08.2022

1. प्रस्तुत आर्म्स अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा नवीन शस्त्र पिस्टल क्रय करने हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आवेदन जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही ने अपने आदेश कमांकः प.21(1)1( )न्याय/2021/1788 दिनांक 01.03.2021 के द्वारा संचित कर दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
2. अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।
3. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलार्थी तहसील क्षेत्र शिवगंज का निवासी है। अपीलार्थी की ईनाणियां ट्रांसपोर्ट कम्पनी का मालिक है। उसे टांसपोर्ट कार्यो से सुनसान मार्गो से अकेले गुजरना पड़ता हैं व कई बार रात्री में अकेले ही ट्रांसपोर्ट

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

कम्पनी में रूकना पड़ता हैं। अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति से खतरा नही है, मगर कभी भी किसी भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी ने स्वयं की अथवा हितबद्ध व्यक्ति की आत्मरक्षा एवं जान–माल की सुरक्षा हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के समक्ष नवीन शस्त्र पिस्टन क्रय करने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा उक्त आवेदन पर जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही द्वारा द्वितीय बार प्रेषित रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने से जनहित में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नही होना बताया गया। जबकि इनमें से 1 मामले में राजीनामा हुआ है व दूसरे मामले में अपीलार्थी को जमानती मुचलके पर 6 माह के लिए पांबद किया गया, जिसका उल्लेख स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक की जांच रिर्पोट में एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में यह नही दर्शाया गया है कि लोक शांति व सुरक्षा बनाये रखने के लिए किस प्रकार अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही किया जा सकता है। इस प्रकार बिना किसी उचित कारण व अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये, जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित नही होने से अपास्त योग्य है।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेखित प्रकरणों में ऐसा कोई प्रकरण लंबित नही है, जिससे अपीलार्थी को किसी प्रकार से दोषी करार किया जाकर दण्डित किया जावे। अपीलार्थी एवं उनके संचालकों को अन्यत्र स्थानों पर आने–जाने एवं अन्यत्र लोगों की धमकियों की वजह से अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है, जिससे किसी को भी किसी तरह का खतरा नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर, अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश फरमावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही की रिपोर्ट में अपीलान्ट–प्रार्थी को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा नही करने से संचित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधि अनुकूल उचित होने से प्रस्तुत अपील खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

6. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा प्रेषित विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलान्ट द्वारा अपने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए जान–माल की सुरक्षा को लेकर पिस्टल क्रय करने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही से प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी में ''प्रार्थी के विरूद्ध थाना रेकर्ड दर्ज मुकदमों का उल्लेख करते हुए, लिहाजा ऐसी सूरत में प्रार्थी को जनहित में नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित नही होना बताया है। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट सिरोही ने अपीलान्ट के उक्त आवेदन पत्र को संचित करने आदेश दिया गया है।

7. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसे कोई तथ्य/आधार उल्लेखित/प्रकट नही कर पाया जिससे उनको अपने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में अन्यत्र आवागमन से किसी प्रकार का जान–माल का खतरा पैदा हो रहा हो। अपीलान्ट के मात्र भविष्यवर्ती व संदेहयुक्त कथनों के आधार पर कि उन्हें आयुध रखने और क्रय करने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नही होता है। इसलिए वर्तमान मामले में विद्वान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के द्वारा अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नही करने हेतु लिया गया निर्णय उचित प्रतीत है, जिससे यह न्यायालय भी सहमत है। फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता उचित प्रतीत नही होती है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं आधारहीन होने से तदनुसार खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25 अगस्त, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

25/8/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर